तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 250/2022(जी.सी.एम.एस. नंबर 2022/402) बअनवान नारायणराम बनाम ओमप्रकाश इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.05.2026	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। अपील पत्रावली के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये रास्ते की भूमि खसरा नंबर 1875/1177 रकबा 0.1103 को स्थगन आदेश से मुक्त किया गया है। अदालत हाजा द्वारा उक्त भूमि के संबंध में दिनांक 14.09.2022 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई जो दिनांक 20.09.20222 को पुनः वैकेट कर दी गई थी। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट उक्त रास्ते की भूमि के संबंध में पृथक से चल रही कार्यवाही में ही वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकता है। अदालत हाजा की राय में उक्त भूमि के संबंध में किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं है। ऐसी स्थिति अपील को इसी स्तर पर निस्तारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जाता है। साथ ही मामला अंतिम निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दो माह की अवधि में विधिसम्मत निस्तारण करे। अधीनस्थ न्यायालय को सूचनार्थ आदेश प्रति लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। आदेष सरे ईजलास सुनाया गया। (ओमप्रकाश विश्नोई) राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर	